[illegible] (पुनः उपा) होकर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 2/1/20 को पेश हो।

2/1/20 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित है/पीठासीन अधिकारी अवकाश में होने/अन्य राजकार्य कार्य में व्यस्त होने/बार एसोसिएशन की प्रार्थना से (राजकीय अवकाश होने)
पत्रावली वास्ते बहस
दिनांक 29/1/20 को पेश हो।

29/1/20 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित है/पीठासीन अधिकारी अवकाश में होने/अन्य राजकार्य कार्य में व्यस्त होने/बार एसोसिएशन की प्रार्थना से (प्रशासनिक कार्य)
पत्रावली वास्ते बहस
दिनांक 30/1/20 को पेश हो।

30.1.2020 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते यह निवेदन किया कि प्रार्थीया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत मृतक खातेदार रामलाल की भूमि मे हक हिस्सा रखती है. प्रार्थीया की पैतृक सम्पत्ति है, प्रोमाफेसी केस प्रार्थीया के पक्ष मे है, विपक्षी भूमि बेच देगें तो प्रार्थीया को काफी नुकसान हो जायेगा जिसकी भरपाई असंभव होगी अतः प्रकरण मे अस्थायी निषेधाज्ञा फरमावें।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	श्रीमति टीना v/s नारायणलाल प्र.स. 69/2018 2018/00135	

इसके विरुद्ध विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वर्ष 2004 मे विरासत का नामान्तरण हुआ उसमे एतराज नही किया. प्रार्थी परिवार मे आती जाती रही, जमीन बेची उसमे भी एतराज नही किया प्रार्थीया का कब्जा नही है विपक्षी के नाम भूमि दर्ज है. विपक्षी खातेदार है धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार के तहत प्रार्थीया वर्ष 2005 के बाद विरासत मे हक लेने की अधिकारी है इस प्रकरण मे विरासत 2004 मे हुई इसलिए प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा नही बनता. मौके पर कब्जा नही इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने दोनो अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने से पाया कि ग्राम खेडोला की जमाबन्दी संवत 2060 से 63 के खाता स. 593, 594 मे अंकित आ.न 1220 रकबा 0.2600 हे. 3012/2630 रकबा 1.71 हे. 267 रकबा 2.0300 हे प्रार्थीया के पिता रामलाल पिता सवाईराम जाट के नाम सम्पूर्ण तथा खाता स 598 मे वर्णित आ.न 1120 रकबा 0.1700 हे आ.न 1128 रकबा 0.6900 हे. आ.न 2424 रकबा 0.05 हे भूमि मे प्रार्थीया के पिता रामा पिता सवाईराम जाट का 1/2 हिस्सा दर्ज है. जो भूमि भी रामलाल के फौत होने से जरीये नामान्तरण 32/26.1.2004 से प्रतिवादी गणो के नाम दर्ज हुई उसमे प्रार्थीया पुत्री होते हुए विरासत मे नाम दर्ज नही जो विधी भी गलत है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीया

तारीख हुक्म	प्र.स 69/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2018/00135	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रोमाफेसी प्रार्थीया के हक में है अगर प्रकरण में स्थगन आदेश के अभाव में विपक्षी भूमि का स्थानान्तरण कर देंगे तो प्रार्थीया को नुकसान हो सकता है कि इसके साथ सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है विपक्षी अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थीया का मौके पर कब्जा नही है जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है. विपक्षी अधिवक्ता का यह कथन स्वीकार योग्य नही है विरासत व पैतृक भूमि में कब्जा नही देखा जाता है विरासत के नामान्तरकरण में मृतक रामा (रामलाल) के विधिक वारीसान में प्रार्थीया का नाम दर्ज होना चाहिये जो नही हुआ जो राजस्व कार्मिकों की भूल है इसके अनुसार प्रार्थीया अपने हक हिस्से से वंचित नही हो सकती है.

उपरोक्त विवरण अनुसार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण 1 से 4 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक जारी किया जाना उचित है.

"आदेश"

अत: प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA बाबत प्रार्थीया विरुद्ध विपक्षी क्रमांक 1 से 4 के स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक ग्राम झाडोल की आ.न 867 रकबा 2.03 है आ.न 3012/2630 रकबा 1.17 है आ.न 1120, 1128, 2424 किता 3 रकबा 0.91 है भूमि के रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विपक्षी क्रमांक 1 से 4 प्रकरण में वर्णित विवादित आराजी को किसी प्रकार से रहन, बय, बख्शीश नहीं करे. प्रार्थीया के कब्जे में न तो स्वयं दखल करे न अन्य से करावें मौका एवं रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे, . पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) 30.1.2020 (सुन्दरलाल बम्बोड़) RAS सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.01.31 14:10:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: